

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/48/2019

दर्ज दिनांक:-04.06.2019

हरदेव पुत्र श्री विपती जाति ब्राह्मण निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....सायल

**बनाम**

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर

.....असल गैरसायल

2. पप्पी पुत्र रोहताश

3. बृजेन्द्र पुत्र रोहताश

4. मांगीलाल पुत्र विपती

5. सुन्दर पुत्र रोहताश

6. सुशील कुमार पुत्र विपती

} जाति ब्राह्मण निवासी जघीना  
तह. व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी गैरसायल

**निर्णय**

दिनांक:-09.12.2019

पत्रावली प्रार्थी हरदेव के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। चूँकि मूल दावा प्रार्थी द्वारा Not Press किये जाने पर खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA Not Press में खारिज किया जाता है। अतः न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.06.2019 को निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील दा० द० हो ।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official